

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची  
सी०एम०पी० संख्या—१२० / २०१९

विवेकानन्द डे उर्फ विबेकानन्द डे, उम्र लगभग ६६ वर्ष, पे०—स्वर्गीय सतकौरी डे, निवासी द्वारा नंदिनी फोटो, हजारीबाग रोड, दून टेन्ट हाउस के पास, डाकघर, जी०पी०ओ०, थाना—लोअर बाजार, जिला—राँची।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

मनीष कुमार जायसवाल, पे०—स्वर्गीय प्रमोद कुमार जायसवाल, निवासी—नॉर्थ समाज स्ट्रीट, थड़पखना, डाकघर, जी०पी०ओ०, थाना—लोअर बाजार, जिला—राँची।

..... विरोधी पार्टी

**कोरम:** माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के० गुप्ता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री आशुतोष आदित्य, अधिवक्ता।

विपक्षी पार्टी के लिए :

**०२/दिनांक: १५.०३.२०१९**

१.

कार्यालय द्वारा बताए गए दोषों को नजरअंदाज किया जाता है।

२. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस स्तर पर वह वर्तमान सी०एम०पी० को वर्तमान सी०एम०पी० में वर्णित प्रश्न को उठाने की स्वतंत्रता के साथ प्रचालित नहीं करना चाहता है।

३. सुना। वर्तमान सी०एम०पी० सं०—१२० / २०१९ को एतद द्वारा निपटाया जाता है, क्योंकि यह पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ प्रचालित नहीं किया गया है।

(अमिताव के० गुप्ता, न्याया०)